न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
अपील सं0 : 01 सन 2018
अनवान :—

1. पुरूषोतम पुत्र भगवानाराम पुत्र बुलाकीराम जाति खाती निवासी नोहर हाल चक 22 एन0टी0आर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

अपीलान्ट

बनाम

1. भगवानाराम पुत्र बुलाकीराम जाति खाती निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. दुर्गाराम पुत्र बुलाकीराम जाति खाती सुथार निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर हाल निवासी सेक्टर स0 5 नोहर तहसील नोहर।
3. उर्मिला पुत्री बुलाकीराम जाति खाती सुथार निवासी रावतसर तहसील नोहर। (फोत)
   3/1 सतपाल पुत्र जयदेव जाति खाती सुथार निवासी रावतसर तहसील नोहर।
   3/2 सरोज पुत्री उर्मिला पुत्री बुलाकीराम जाति खाती सुथार निवासी पनीयावाली (ठाकरो वाली) तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
   3/3 धापी पुत्री उर्मिला पुत्री बुलाकीराम जाति खाती सुथार निवासी पनीयावाली (ठाकरो वाली) तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
   3/4 समेस्ता पुत्री उर्मिला पुत्री बुलाकीराम जाति खाती निवासी नेठाराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
   3/5 रायसिह पुत्र उर्मिला पुत्री बुलाकीराम जाति खाती सुथार निवासी जोधेवाला बास रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
   3/6 सुरेश पुत्र उर्मिला पुत्री बुलाकीराम जाति खाती सुथार निवासी जोधेवाला बास रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. सुशीला पुत्री बुलाकीराम जाति खाती निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
5. स्टेट आफॅ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. ग्राम पंचायत 22 एनटीआर तहसील नोहर जरिये संरपंच ग्राम पंचायत चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 05.01.2008 कार्यालय ग्राम पंचायत चक 22 एनटीआर पंचायत समिति नोहर जिसकी रूह में नामान्तकरण संख्या 795 विरास्तन के आधार पर दर्ज /तस्दीक किया गया है को निरस्त कर दानपत्र दिनांक 17.10.2017 के आधार पर दर्ज/तस्दीक करवाने बाबत।

उपस्थित : श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता रेस्पो—1,ता 3

निर्णय दिनांक :— 18/03/2026

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत 75 एल.आर.एक्ट के तहत इस आश्य की पेश की गई है कि रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 93/93 की कुल 19.2320हक में से 1/10 यानी 1.9232हैक भूमि बुलाकीराम वल्द इन्द्राज जाति खाती निवासी नोहर हाल चक 22 एनटीआर खातेदार काश्तकार था तथा बुलाकीराम ने अपना उपरोक्त सम्पूर्ण हिस्सा अपने पौत्र पुरूषोतम पुत्र भगवानाराम निवासी चक 22 एनटीआर को दिनांक 17.10.2018 को जरिये रजिस्ट्रर्ड गिफ्ट डिड दान कर दी तथा पुरूषोतम पुत्र भगवानाराम /अपीलान्ट उक्त दानपत्र के आधार पर बुलाकीराम के जीवनकाल में ही वाद भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया था।

दानपत्र एक ऐसा रजिस्टर्ड दस्तावेज होता है जिससे एक पक्ष दानकर्ता जिसके सारे अधिकारी दुसरे पक्ष दानग्रहिता में समाहित हो जाते है इसलिये अपीलान्ट दानपत्र दिनांक 17.10.2018 के आधार पर खातेदार काश्तकार हो गया था मगर रेस्पोडेन्ट ने पटवारी हल्का व ग्राम पचायत से साजीस कर बिना किसी सही जांच किये दानकर्ता बुलाकीराम के देहान्त होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 11:09:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नोहर

पश्चात उसके मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर विरास्तन नामान्तकरण संख्या 795 दिनांक 01.05.2018 दर्ज/तस्दीक करवा लिया था।

नामान्तकरण संख्या 795 दिनांक 01.05.2018 की कार्यवाही कतई नियम विरूद्व तस्दीक किया गया है जिससे अपीलान्ट के हको का हनन होता है उसके खातेदारी अधिकारो का हनन होता है इसलिये अपीलान्ट आदेश दिनांक 05.01.2018 जिसके आधार ना नामान्तकरण संख्या 795 तस्दीक किया गया है को निरस्त करवाने एवं अपीलान्ट का दानपत्र दिनांक 17.10.2017 के आधार पर वाद भूमि का नामान्तकरण दर्ज करवाने का अधिकारी है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि नामान्तकरण संख्या 795 दिनांक 5.01.2018 रोही मौजा 22 एनटीआर को खारिज किया जाकर अपीलानट के दानपत्र दिनांक 17.10.2017 के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश फरमावे।

अपील अपीलान्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1 से 3/5 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई तथा रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ,2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये।

उभयपक्षों को साक्ष्य सबुत पेश करने का सम्पूर्ण अवसर दिया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 93/93 की कुल 19.2320हक में से 1/10 यानी 1.9232हैक भूमि बुलाकीराम वल्द इन्द्राज जाति खाती निवासी नोहर हाल चक 22 एनटीआर खातेदार काश्तकार था तथा बुलाकीराम ने अपना उपरोक्त सम्पूर्ण हिस्सा अपने पौत्र पुरूषोतम पुत्र भगवानाराम निवासी चक 22 एनटीआर को दिनांक 17.10.2018 को जरिये रजिस्ट्रर्ड गिफ्ट डिड दान कर दी तथा पुरूषोतम पुत्र भगवानाराम /अपीलान्ट उक्त दानपत्र के आधार पर बुलाकीराम के जीवनकाल में ही वाद भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया था।

दानपत्र एक ऐसा रजिस्ट्रर्ड दस्तावेजात होता है जिससे एक पक्ष दानकर्ता जिसके सारे अधिकारी दुसरे पक्ष दानग्रहिता में समाहित हो जाते है इसलिये अपीलान्ट दानपत्र दिनांक 17.10.2018 के आधार पर खातेदार काश्तकार हो गया था

रेस्पोडेन्ट ने पटवारी हल्का व ग्राम पचायत से साजीस कर बिना किसी सही जांच किये दानकर्ता बुलाकीराम के देहान्त होने के पश्चात उसके मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर विरास्तन नामान्तकरण संख्या 795 दिनांक 01.05.2018 दर्ज/तस्दीक करवा लिया था।

नामान्तकरण संख्या 795 दिनांक 01.05.2018 की कार्यवाही कतई नियम विरूद्व तस्दीक किया गया है उक्त नामान्तकरण करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर नही दिया गया मनमाना एक पक्षीय तौर पर कार्यवाही किया जाकर नामान्तकरण संख्या 795 तस्दीक किया गया है जो अपीलान्ट के हकों के मुकाबले शुन्य है।

नामान्तकरण संख्या 795 दर्ज/तस्दीक करते समय राजस्थान भू राजस्व अधिनियम सन 1956 के किसी भी प्रावधान की पालना नही की गई है एक पक्षीय तौर पर नामान्तकरण संख्या 795 दर्ज किया गया है जो विधि विरूद्व है।

नामान्तकरण संख्या 795 से अपीलान्ट के हको का हनन होता है उसके खातेदारी अधिकारो का हनन होता है इसलिये अपीलान्ट आदेश दिनांक 05.01.2018 जिसके आधार ना नामान्तकरण संख्या 795 तस्दीक किया गया है को निरस्त करवाने एवं अपीलान्ट का दानपत्र दिनांक 17.10.2017 के आधार पर वाद भूमि का नामान्तकरण दर्ज करवाने का अधिकारी है।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 795 दिनांक 05.01.2018 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के दानपत्र दिनांक 17.10.2017 के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 11:09:18 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की रेस्पोडेन्टस अपीलान्ट के पक्ष में किये गये दानपत्र दिनांक 17.10.2017 को निरस्त करवाने का वाद माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 नोहर के न्यायालय में वाद संख्या 143/2018 अनवानी दुर्गाराम बनाम पुरूषोतम पेश कर रखा है जिसमें स्थगन आदेश भी जारी किया जा चुका है

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रेस्पोडेन्टस संख्या 1 द्वारा दानपत्र दिनांक 17.10.2017 को शुन्य एवं प्रभावहिन घोषित करवाने का वाद पेश किया हे कि वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है 76 बीधा राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जो इन्द्रा उर्फ इन्द्राज के पाचों पुत्रों ने सयुक्त परिवार की आय से अर्जित भूमि थी इसप्रकार बुलाकीराम व उसके भाईयों पाचों के पास कुल 38 बीधा भूमि प्राप्त हुई थी जो उक्त पैतृक सम्पति में 1/5 हिस्सा यानी 7.12 बीधा भूमि बुलाकीराम के नाम से कर्ता खानदान होने के कारण दर्ज हुई थी जिसमें बुलाकीराम व उनके पुत्र /पुत्रीयों का उक्त 7.12 बीधा भूमि में सयुक्त तौर से प्रत्येक का 1/5 हिस्सा था

दानपत्र दिनांक 17.10.2017 को अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 नोहर में प्राकृति से ही अवेध व शुन्य घोषित करवाने हेतु वाद जैरकार है तथा जिसमें माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश भी है अपीलान्ट दानपत्र के आधार पर रेस्पो संख्या 1 ता 4 के पक्ष में दर्ज नामान्तकरण संख्या 795 दिनांक 05.01.2018 को निरस्त करवाना चाहता है जबकि दानपत्र को अकृत एवं शुन्य करवाने का वाद जैरकार है दानपत्र सन्देहास्पद स्थिति में है तथा पैतृक सम्पति का है इसलिये नामान्तकरण संख्या 795 दिनांक 05.01.2018 को अपास्त करवाने का अधिकारी नही है तथा जब तक दानपत्र का निस्तारण नही हो जाता तब तक अपील की कार्यवाही को स्थगित रखा जावे

बुलाकीराम के नाम दर्ज पैतृक सम्पति का विरास्तन नामान्तकरण सही तौर पर विधि अनुकुल दर्ज किया गया है जिसे अपीलान्ट निरस्त करवाकर सन्देहास्पद दानपत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करवाने का अधिकारी नही है अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त पर मनन किया गया ।

अपीलान्ट का कथन है कि रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 93/93 की कुल 19.2320हक् में से 1/10 यानी 1.9232हैक् भूमि बुलाकीराम वल्द इन्द्राज जाति खाती निवासी नोहर हाल चक 22 एनटीआर खातेदार काश्तकार था तथा बुलाकीराम ने अपना उपरोक्त सम्पूर्ण हिस्सा अपने पौत्र पुरूषोतम पुत्र भगवानाराम निवासी चक 22 एनटीआर को दिनांक 17.10.2018 को जरिये रजिस्ट्रर्ड गिफ्ट डिड दान कर दी तथा पुरूषोतम पुत्र भगवानाराम /अपीलान्ट उक्त दानपत्र के आधार पर बुलाकीराम के जीवनकाल में ही वाद भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया था।

रेस्पोडेन्ट ने पटवारी हल्का व ग्राम पचायत से साजीस कर बिना किसी सही जांच किये दानकर्ता बुलाकीराम के देहान्त होने के पश्चात उसके मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर विरास्तन नामान्तकरण संख्या 795 दिनांक 01.05.2018 दर्ज/तस्दीक करवा लिया था नामान्तकरण संख्या 795 जो अपीलान्ट को बिना सुनवाई के एक पक्षीय तौर पर किया गया है जो स्वत ही निरस्त योग्य है एव दानपत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश फरमावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि बुलाकीराम के नाम दर्ज भूमि परिवार की सयुक्त आय से अर्जित भूमि थी केवल कर्ता खानदान होने के कारण बुलाकीराम के नाम दर्ज थी जिसमे बुलाकीराम के पुत्र/पुत्रीया का बराबर का हक हिस्सा था बुलाकीराम को समस्त पैतृक सम्पति का दानपत्र करवाने का अधिकार नही था बुलाकीराम के देहान्त होने पर विरास्तन नामान्तकरण सही तौर से दर्ज किया गया है तथा बुलाकीराम के दानपत्र को निरस्त करवाने का वाद सिविल न्यायालय में पेश किया जा चुका है दानपत्र का निस्तरण होने तक अपील की कार्यवाही को स्थगित रखा जावे।

उभयपक्षों के कथनों को ध्यान पूर्वक सुना व समझा गया

रोही मौजा चक 22 एनटीआर की वाद भूमि जो बुलाकीराम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज था जो उपनिवेशन विभाग की पर्चा खतौनी में [illegible] खाते में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है उससे पूर्व की जमाबन्दीयो में भी बुलाकीराम [illegible] दर्ज है रेस्पोडेन्टस ने ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह साबित हो सके कि बुलाकीराम के नाम दर्ज भूमि पैतृक सम्पति थी रेस्पोडेन्टस का मात्र कथन है कोई भी साक्ष्य नही है जबकि अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दीयो /पर्चा खतौनी से साबित है कि बुलाकीराम की स्वअर्जित भूमि थी अर्थात रेस्पोडेन्टस का पैतृक सम्पति का कथन स्वीकार योग्य नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 11:09:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर
Rahul

बुलाकीराम जो राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज था जिसे अपनी भूमि के सम्बध में किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार था बुलाकीराम ने अपने जीवनकाल में स्वेच्छा से अपनी खातेदारी भूमि का दानपत्र जो दिनांक 17.10.2017 को अपीलान्ट के पक्ष में किया गया था तथा दानपत्र के निष्पादन के उपरान्त अपीलान्ट वाद भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया था जो राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी था।

रेस्पोडेन्टस ने बुलाकीराम के देहान्त होने पर बुलाकीराम के मृत्यू प्रमाण पत्र एव वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर विरास्तन नामान्तकरण संख्या 795 दिनांक 05.01.2018 को दर्ज/तस्दीक करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया गया ।

रेस्पोडेन्टस को कोई अधिकार नही था कि बुलाकीराम के द्वारा करवाये गये दानपत्र जो बुलाकीराम के जीवनकाल में दिनांक 17.10.2017 को करवाया गया था छुपाकर विरास्तन नामान्तकरण करवाये

बुलाकीराम ने अपने जीवनकाल में अपीलान्ट के पक्ष में दानपत्र दिनांक 17.10.2017 को करवाया गया था तथा रेस्पोडेन्टस ने विरास्तन नामान्तकरण संख्या 755 दिनांक 05.01.2018 को दर्ज /तस्दीक करवाया गया है अर्थात दानपत्र विरास्तन नामान्तकरण से पूर्व हो चुका था तो विरास्तन नामान्तकरण किया जाना विधि विरूध है।

अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करते समय अपीलान्ट जिसके पक्ष मे दानपत्र किया गया था को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया ना ही रेस्पोडेन्टस ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया जिससे सुनवाई किया जाना साबित होता हो ना ही पत्रावली में उपलब्ध है रेस्पोडेन्टस संख्या 1 को दानपत्र के आधार पर नामान्तकरण में आपत्ति नही है।

रेस्पोडेन्टस का कथन है कि दानपत्र को निरस्त करवाने का वाद सक्षम न्यायालय में पेश किया जा चुका है जिसमे स्थगन है रेस्पोडेन्टस ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है सिविल न्यायालय का स्थगन आदेश आदिनांक को प्रभावी है मात्र वर्ष 2018 की फर्द अहकाम की प्रति पेश की गई है वर्तमान स्थिति को कोई भी साक्ष्य पेश नही किया गया है यदि न्यायालय के द्वारा दानपत्र निरस्त कर दिया जाता है तो स्वत ही राजस्व रिकार्ड में दानपत्र के आधार पर किया गया अंकन निरस्त हो जावेगा वर्तमान परिस्थितियों में अपील की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना विधि सम्मत नही है ना ही रेस्पोडेन्टस से वाद की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार बुलाकीराम ने अपनी खातेदारी भूमि जो प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार स्वअर्जित है का दिनांक 07.10.2017 को अपने पोत्र अपीलान्ट के पक्ष में दानपत्र करवाया गया था जिसके आधार पर अपीलान्ट वाद भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया था और राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है रेस्पोडेन्टस ने बुलाकीराम के देहान्त होने पर मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र के अधार पर बुलाकीराम की भूमि का विरास्तन नामान्तकरण संख्या 795 दिनांक 05.01.2018 को करवाया गया था विधि विरूद्व एव एक पक्षीय तौर से तथ्यो को छुपाकर करवाया जाना पाया जाता है जब बुलाकीराम ने अपनी भूमि का जीवनकाल में ही दानपत्र. करवा दिया था उसी भूमि का विरास्तन नामान्तकरण किया जाना विधि विरूध है।

अतः साक्ष्य सबुतों के अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन निर्णय /नामान्तकरण संख्या 795 दिनांक 05.01.2018 रोही मौजा चक 22 एनटीआर निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार नोहर को निर्देशित किया जाता है कि बुलाकीराम के दानपत्र दिनांक 17.10.2017 जो अपीलान्ट के पक्ष में है के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही शीध्र की जावे निर्णय की प्रति तहसीलदार नोहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। व्यय अपील उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक [illegible] लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by RahulSrivastava
Date: 2026.04.02 11:09:18 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव आई.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)